भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1190
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में की गई पहलें और उनके अपेक्षित परिणाम

1190 # श्री मोकरिया रामभाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में की गई पहलें और उनके अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्यों में गंभीर आपदा के बाद, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) की तुरंत तैनाती के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप हुए सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुस्थापित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं।

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता के लिए ,उन्हें हर संभव लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई पहल की हैं। ऐसी कुछ पहल और उनके परिणाम इस प्रकार हैं:

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1190, दिनांक 10/12/2025

1. वर्ष 2016 में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की गई थी। वर्ष 2019 में यह संशोधित की गई। संशोधित एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

2. अधिनियमन के बाद से, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्ष 2025 में पहली बार संशोधन किया गया। संशोधनों ने संस्थागत ढांचे, वित्तीय तंत्र, शहरी आपदा प्रबंधन और जवाबदेही संरचनाओं को मजबूत किया।
3. देश में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सरकार द्वारा पहली बार 04.07.2022 को 5,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ राज्यों में 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना' शुरू की गई।
4. केंद्र सरकार ने चक्रवात, बाढ़, सुनामी आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक मज़बूत और सुदृढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है, ताकि आपदा के बाद प्रतिक्रिया और बचाव कार्य में तेज़ी लाई जा सके और जान-माल की हानि को कम किया जा सके। चक्रवातों के लिए अलर्ट अब 7 दिन पहले भेजे जाते हैं, जबकि पहले यह 5 दिन पहले भेजे जाते थे।
5. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) के तहत तटीय राज्यों में आरंभिक चेतावनी तंत्र बनाए गए हैं, जो हाल के साइक्लोन के दौरान तटीय समुदाय को चेतावनी देने में बहुत मददगार साबित हुए हैं।
6. कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सीएपी) के साथ, विभिन्न प्रसार माध्यमों, जैसे, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, कॉस्टल सायरन और सभी चेतावनी एजेंसियों के एकीकरण के माध्यम से, सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्टों के प्रसार के लिए शुरुआत की गई है। इस प्रणाली का उपयोग करके अब तक 11000 करोड़ से अधिक अलर्ट प्रसारित किए जा चुके है।
7. माननीय प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल आपातकालीन नंबर' के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए, मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ "आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) का विस्तार" परियोजना शुरू की गई है, जो आपदाओं के लिए आपातकालीन कॉल से संबंधित समस्याओं का निवारण भी करेगी।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1190, दिनांक 10/12/2025

8. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिन्हें देश में भेद्यता प्रोफाइल के आधार पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, तथा आपदा विशेष पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

9. वित्तीय आवंटन में वृद्धि और नए कोषों की स्थापना:
    a. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीएमएफ) के लिए 1,60,153 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के लिए 68,463 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
    b. केंद्र सरकार ने 2021-26 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के आवंटन में 109 प्रतिशत की वृद्धि की है, अर्थात 2015-20 की अवधि के 61,220 करोड़ रुपये की तुलना में 1,28,122 करोड़ रुपये। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 2021-26 की अवधि के लिए राष्ट्रिय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत 54,770 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।
    c. पहली बार राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) नामक दो शमन निधि स्थापित किए गए हैं। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए एसडीएमएफ के अंतर्गत 32,031 करोड़ रुपये और एनडीएमएफ के अंतर्गत 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

10. भारत निम्नलिखित कदमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है:
    a. दिनांक 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संघटन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया गया था। अब तक, 52 देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं।

    b. सरकार आपदा प्रभावित देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान कर रही है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप, आपदा पीड़ितों को तत्काल मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा आदि अभियान चलाए गए।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1190, दिनांक 10/12/2025

11. देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया है:
    a. आपदा मित्र योजना लागू की गई है, जिसके तहत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।
    b. सरकार ने अब एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), एनवाईकेएस (NYKS) और बीएस&जी (BS&G) के स्वयंसेवको सहित लगभग 2,37,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए 469.53 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 'युवा आपदा मित्र योजना' नामक एक योजना शुरू की है।
12. सरकार ने आपदा प्रबंधन चक्र के शमन पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में, विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से विभिन्न शमन कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

भारत ने अपने निरंतर प्रयासों से आपदाओं और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से आपदा प्रबंधन पद्धतियों, तैयारियों, रोकथाम और रेस्पोंस तंत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना शासन की एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है।

(ख) और (ग): पहले, गंभीर आपदा से प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) की तैनाती की जाती थी। सरकार ने 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि किसी भी गंभीर प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद IMCT की तैनाती की जाएगी, जो राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी ताकि आपदा से हुए नुकसान और राज्य प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों का मौके पर ही आकलन किया जा सके। ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद, IMCT क्षति और चलाए गए राहत कार्यों के विस्तृत आकलन के लिए अतिरिक्त धनराशि के आवंटन हेतु अंतिम सिफारिशें करने हेतु राज्य का पुनः दौरा कर सकती है।

इस कदम से एनडीआरएफ से मूल्यांकन और उसके बाद धनराशि जारी करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

****

राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) से सरकार द्वारा अनुमोदित शमन कार्यक्रमों का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय	उद्देश्य	राज्य/कवर किया गया क्षेत्र
1.	**भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम**	1000 करोड़ रुपये	भूस्खलन के प्रति समुदायों और उनकी संपत्तियों की असुरक्षा को कम करके मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान को कम करना	10 पूर्वोत्तर एवं हिमालयी (एनईएच) राज्यों के साथ-साथ 5 भूस्खलन संभावित राज्य अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल।
2.	**ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम शमन कार्यक्रम**	150 करोड़ रुपये	जीएलओएफ के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक शमनकारी उपायों को अपनाना	4 हिमालयी राज्य, अर्थात्, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश
3.	**12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम**	2022.16 करोड़ रुपये	सूखा निवारण हेतु दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करने के लिए	12 सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्य (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश)
4.	**आकाशीय बिजली सुरक्षा के लिए शमन परियोजना**	186.78 करोड़ रुपये	आकाशीय बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए जागरूकता गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना	10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के 50 सर्वाधिक बिजली गिरने वाले जिले
5.	**वन अग्नि जोखिम प्रबंधन योजना**	819 करोड़ रुपये	वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए	19 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड) के 144 वन अग्नि की आशंका वाले जिले
6.	**शहरी बाढ़ शमन कार्यक्रम**	3075.65 करोड़ रुपये	शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए	7 प्रमुख शहर, अर्थात् चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद
7	**शहरी बाढ़ शमन कार्यक्रम (चरण-II)**	2444.12 करोड़ रुपये	शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए	11 शहर अर्थात्, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ
8	**असम की 24 आर्द्रभूमियों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प**	692.05 करोड़ रुपये	आर्द्रभूमि के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए	असम के 9 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में फैली हुई 24 आर्द्रभूमियाँ

****